न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– मनभरी वगैरह बनाम किशनी आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 11 वर्ष 2022

दिनांक	आज्ञा पत्र	
02.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियां ख0नं0 660, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668,669,674,675,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686/2, 687, 688 कुल किता 23 कुल रकबा 11.8100 है0 वाके ग्राम शेरपुरा प0ह0 सुजावास तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमियां है। प्रार्थीगण उपरोक्त भूमियों मे से हिस्सा 3/16 के रिकॉर्डेड काबिज, खातेदार, काश्तकार है, शेष कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण सं0 1 ता 22 मुताबिक जमाबंदी राजस्व रिकार्ड रिकॉर्डेड काबिज, खातेदार, काश्तकार है। वादग्रस्त कृषि भूमियों को प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से बाहमी रूप से अंदाज नाप जोखकर बांट रखा है, जिसके अनुसार प्रार्थीगण ने अपने 3/16 हक, हिस्से की भूमि में प्रार्थी सं0 2 के नाम से कृषि विधुत कनेक्शन लेकर पुख्ता ट्यूबवेल बना रख है तथा प्रार्थीया सं01 के नाम से घरेलू विधुत कनेक्शन लेकर पशुओं के लिए आवासीय बाडा बना रखा है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण ने भी अपने अपने हक हिस्से की भूमि में ट्यूबवेल बना रखे है तथा पक्षकार अपनी–अपनी भूमियों की उक्त हिस्सेनुसार सिंचाई कर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपने हक हिस्से की भूमि में पुख्ता ट्यूबवेल बना रखा है पशुओं के लिए बाडा बना रखा है, विधुत कनेक्शन लेकर जमीन में पाई लाईन डालकर उर्वरक खाद आदि डालकर भूमि को समतल करवाकर लाखों रूपये खर्च कर भूमि को सिंचाई योग्य बनाकर उपजाउ बनाया है, जिसके कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से रंजिश रखने लगे है। प्रार्थीगण के जीविकापार्जन का एकमात्र जरिया उनकी उक्त कृषि भूमि ही है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण एकराय होकर षडयंत्रपूर्वक एक संगठित गिरोह बनाकर प्रार्थीगण से हडप लेना चाहते है तथा भूमि पर बलात कब्जा करने पर आमादा है और ढाणी से भूमि ख0नं0 677 में से होकर कायमी रास्ते से आने–जाने में अवरोध पैदा कर जमीन छोडने पर विवश कर रहे है तथा धमकी देने लगे है तथा भूमियों को बाई मिट्स एंड बाउन्डस बंटवारा करवाने से इंकार हो रहे है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक, अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण में अप्रार्थी सं0 4,5 7 से 9, 15 से 17, 20,21 जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब आवेदन मय काउन्टर क्लेम पेश कर मद सं0 1 व 2 को स्वीकार किया है। मद सं0 3 से 7 जि तरह से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 8 कानूनी है। विशेष काउन्टर आवेदन मय विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थीगण का काउन्टर आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे ग्राम शेरपुरा तह0 दांतारामगढ़,सीकर की तन में स्थित भूमि ख0नं0 681 रकबा 0.0700 है0 गै0मु0 रास्ता पर अतिक्रमण कर अवरूद्ध नहीं करे एंव ख0नं0 677 में नया रास्ता कायम नहीं करे। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर	

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा जवाब काउन्टर पेश कर मद सं0 1 गलत होना बताया। मद सं0 2 सही होने से स्वीकार है। मद सं0 3 व 4 को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर है। मद सं0 5 से 8 गलत होने से अस्वीकार है। जवाब पेश कर अप्रार्थीगण का काउन्टर आवेदन मय हर्जा–खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने वकील उभय की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमियां ख0नं0 660, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668,669,674,675,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686/2, 687, 688 कुल किता 23 कुल रकबा 11.8100 है0 वाके ग्राम शेरपुरा प0ह0 सुजावास तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमियां है। प्रार्थीगण उपरोक्त भूमियों मे से हिस्सा 3/16 के रिकॉर्डेड काबिज, खातेदार, काश्तकार है, शेष कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण सं0 1 ता 22 मुताबिक जमाबंदी राजस्व रिकार्ड रिकॉर्डेड काबिज, खातेदार, काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अपने हक हिस्से की भूमि में पुख्ता ट्यूबवेल बना रखा है पशुओं के लिए बाडा बना रखा है, विधुत कनेक्शन लेकर जमीन में पाई लाईन डालकर उर्वरक खाद आदि डालकर भूमि को समतल करवाकर लाखों रूपये खर्च कर भूमि को सिंचाई योग्य बनाकर उपजाउ बनाया है, जिसके कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से रंजिश रखने लगे है और ढाणी से भूमि ख0नं0 677 में से होकर कायमी रास्ते से आने–जाने में अवरोध पैदा कर जमीन छोडने पर विवश कर रहे है तथा धमकी देने लगे है तथा भूमियों को बाई मिट्स एंड बाउन्डस बंटवारा करवाने से इंकार हो रहे है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक, अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाने हेतु निवेदन किया है। जबकि अप्रार्थीगण ने काउन्टर आवेदन पेश कर स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे ग्राम शेरपुरा तह0 दांतारामगढ़,सीकर की तन में स्थित भूमि ख0नं0 681 रकबा 0.0700 है0 गै0मु0 रास्ता पर अतिक्रमण कर अवरूद्ध नहीं करे एंव ख0नं0 677 में नया रास्ता कायम नहीं करे।

चूंकि वादीगण द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा,बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अंतर्गत धारा 88, 53 एंव 188 आरटीए में पेश किया है, जिसमें जवाब दावा पेश होकर तनकीयात कायम की जा चुकी है। वर्तमान में वाद जिरह में विचाराधीन है। वाद में प्रस्तुत साक्ष्य/सबूत के आधार वादी एंव प्रतिवादीगण द्वारा उठाये गये बिन्दूओं का मैरिट के आधार पर अंतिम निस्तारण किया जाना है इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करना न्यायालय उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित कृषि भूमियो ख0नं0 660, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668,669,674,675,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686/2, 687, 688 कुल किता 23 कुल रकबा 11.8100 है0 वाके ग्राम शेरपुरा प0ह0 सुजावास तहसील दांतारामगढ़, सीकर में भूमियों के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner